

**न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक**  
(के०के० शर्मा, आई०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या  
प्रविष्टि दिनांक

68/2018  
15-11-2018

जगदीश पुत्र प्रताबा कीर निवासी मण्डावर तह० टोंक जिला टोंक राज०

—अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार टोंक जिला—टोंक राजस्थान

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा०ले०रे०एक्ट विरुद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार टोंक दिनांक  
05.09.2018 धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956



स्थिति : (1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन अभिभाषक अपीलान्ट  
(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 19.12.2019

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोंक ने अपने आदेश दिनांक 05.09.2018 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 10 रकबा 1.10 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम मण्डावर पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार टोंक के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नहीं मंगवाई और न ही मौके का निरीक्षण किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पूर्व में किसी भी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है ओर न ही अपीलान्ट की प्रोपर तामील करवाई है ओर न ही अपीलान्ट को ऐसे किसी नोटिस की जानकारी रही है इस तरह बिना प्रोपर तामील के ही अधीनस्थ न्यायालय ने एक पक्षीय निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट किस तारीख को तैयार की उक्त तारीख का अंकन भी पटवारी हल्का की रिपोर्ट में नहीं है, पटवारी द्वारा ऐसी कोई

जिला कलेक्टर  
टोंक

रिपोर्ट किसी स्वतंत्र गवाह के सामने तैयार नहीं की है। अपीलान्ट द्वारा किसी भी चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है और ना ही अपीलान्ट का किसी चरागाह भूमि से कोई सम्बन्ध है। अपीलान्ट को सजायाब करने से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया है अपीलान्ट को उक्त निर्णय की कोई जानकारी नहीं दी गई। सर्वप्रथम अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 12-11-2018 को हुई जिस पर अपीलान्ट ने निर्णय की नकल प्राप्त हेतु आवेदन पेश किया नकल दिनांक 13-11-2018 को प्राप्त होने पर अपीलान्ट ने बिना किसी देरी के जानकारी के अन्दर मियाद उक्त अपील माननीय न्यायालय में पेश की है। अपील पेश करने में जानबूझ कर कोई देरी नहीं की है, जो देरी हुई है वह न्यायहित में क्षमा किया जाने योग्य है। प्रकरण में अपील अपरिहार्य कारण से हुई देरी को क्षमा करने हेतु पृथक से अपीलान्ट धारा-5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलान्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए है। अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व गत वर्ष में भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली संख्या 505/2017 से बेदखल किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। अपीलान्ट ने आराजी खसरा नम्बर 10 रकबा 1.10 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम मण्डावर पर अतिक्रमण कर बाजरा की फसल काश्त की है। अपीलान्ट अतिक्रमी है तथा चरागाह भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपने बचाव पक्ष में साक्ष्य सबूत पेश करना चाहिए था किन्तु अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 10 रकबा 1.10 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम मण्डावर पर अतिक्रमण कर बाजरा की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानों से सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है किन्तु अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं। पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व गत वर्ष में भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली संख्या 505/2017 से बेदखल किया गया है। अपीलान्ट के अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया था कि वर्तमान में उक्त विवादित भूमि पर उनका कब्जा नहीं है एवं अपीलान्ट ने अपना कब्जा हटा लिया है। इस सम्बन्ध में न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया था किन्तु तीन अवसर दिये जाने के पश्चात भी अपीलान्ट द्वारा कब्जा छोड़ने बाबत शपथ पत्र पेश नहीं किये जाने से भी साबित है कि वर्तमान में

॥ कलेक्टर  
टॉक

२



अपील सं० 68/2018

भी अपीलान्त का उक्त विवादित भूमि पर अतिक्रमण है और वह भूमि से अपना अतिक्रमण नहीं हटाना चाहते हैं। विवादित भूमि चरागाह है जो सार्वजनिक उपयोग एवं हित की भूमि है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.09.2018 को यथावत रखा जाता है तथा स्थागन प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(के०के०शर्मा)

जिला कलेक्टर, टोक

19.12.19  
जिला कलेक्टर  
टोक



Scanned by CamScanner

